न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 19/2018
पंजीयन दिनांकः 21.06.2018

1. मनोहर सिंह पिता गोवर्धन सिंह जाति राजपूत– मृतक के बजाय
   1. चंदनसिंह पिता मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. विष्णु कंवर पत्नि ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. मिठु कंवर पुत्री मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   4. सदा कंवर पत्नि मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी साडास तहसील गंगरार

–अपीलान्टगण

बनाम

1. शिवसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. अर्जुन सिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 62/2017 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.05.2018

उपस्थित वक्त बहसः 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश दायमा– रेस्पोडेन्ट सं.– 1 व 2
3. पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अभिभाषक रेस्पो–3

निर्णय **दिनांक 17.01.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारीर एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा साडास तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 468, 484, 485 व आराजी नम्बर 479 आ0चा0 अवस्थित है। उक्त आराजीयात पर आने–जाने कृषि उपकरण, मवेशी आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता साडास से मंगरोप आने जाने के सरकारी रास्ते से होकर रास्ते के पूर्व दिशा मे अपीलान्टगण विपक्षीगण की आराजी नम्बर 467 रकबा 0.15 हैक्टेयर के दक्षिण मे पूर्व से पश्चिम दिशा मे लम्बवत् 12 फीट चौडा रास्ता से होकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 468 मे होकर अन्य आराजीयात मे आते जाते है। प्रार्थना पत्र मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मे उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण उक्त रास्ते से ही अपनी आरजीयात मे 35 वर्षो से आ जा रहे है। फिर भी अपीलान्ट विपक्षी ने उक्त रास्ते मे अवरूद्ध डालकर रास्ता अवरूद्ध करने हेतु पत्थर डालने लगा व रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने रास्ता अवरूद्ध नही करने हेतु कहा पर अपीलान्ट विपक्षी ने कहा कि हमारे खातेदारी मे रास्ता है इसलिये रास्ता बन्द करेगे। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण की आराजीयात मे आने जाने हेतु अपीलान्ट विपक्षी की आराजीयात मे स्थित रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे व डी0एल0सी0 दर जो भी राशि बनती है वह रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट विपक्षी रास्ते मे किसी प्रकार का निर्माण करा लेता है तो रास्ता खुलवाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 26.10.2017 को प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। उक्त प्रकरण को, जो तामील मे विचाराधीन था बिना तामील कराये लोक अदालत की सूचना दिये दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट साडास मे नियत किया गया व उसी दिनांक को तहसीलदार गंगरार से रिपोर्ट ली जाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा बिना तामील व बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत दिनांक 10.05.2018 को पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2018 को अपील पंजीयन की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पास–पास अवस्थित है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अपने कुंए की आराजी नम्बर 479 से अन्य खातेदारी की आराजीयात मे आते जाते है। व कुंए की आराजीयात पर आने जाने का रास्ता

मौजुद है। फिर भी रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की खातेदारी से अन्य रास्ता कायम कराने की नियत से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर बिना तामील किये लोक अदालत मे बिना राजीनामे के निर्णय व आदेश पारित कराया है। जो संहवनीय नही है जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 468, 484, 485, व 479 खातेदारी मे दर्ज है जिस पर आने जाने का कोई रास्ता नही होकर आम रास्ता साडास से मंगरोप के रास्ते से होकर उक्त रास्ते की पूर्व दिशा मे अपीलान्ट की आराजी नम्बर 467 के दक्षिण मे पूर्व से पश्चिम दिशा पर होकर विगत 35 वर्षो से आते जाते रहे है। यही तथ्य तहसीलदार गंगरार ने अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तुत किये है। यह भी अंकित किया है कि आराजी नम्बर 467 रकबा 0.15 है0 किस्म बीड निजी खातेदारी राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौके पर रास्ता बन्द कर रखा है। व 0.02 हैक्टेयर रकबा रास्ते के लिये बनता है। रास्ते की कार्यवाही अति–आवश्यक कार्यवाही है। जिसमे वादपत्र व सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक नही है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्यायोचित होकर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस का विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने दिनांक 26.10.2017 को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2017 को पंजीयन किया जाकर अपीलान्ट विपक्षी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। दिनांक 16.03.2018 को भी अपीलान्ट विपक्षी की तामील नही होने से नोटिस पेश करने का आदेश पारित किया गया। व आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.04.2018 नियत की गई। दिनांक 16.03.2018 को आदेश की पालना मे रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्ट विपक्षी का कोई सम्मन नोटिस प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट विपक्षी की तामील होना पत्रावली के अवलोकन से नही पाया जाता है। न ही अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने कोई सम्मन नोटिस लोक अदालत के सम्बन्ध मे जारी किया है न ही तामील कराया जाना अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है। न ही अपीलान्ट विपक्षी लोक अदालत मे उपस्थित हुआ है। न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा होना पाया जाता है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो को निस्तारित किया जा सकता है जिसमे उभयपक्ष उपस्थित होकर लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाह रहे हो। आर0एल0 डब्ल्यु0 2008 पार्ट–2 पेज 975 मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे लोक अदालत के सम्बन्ध मे सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि लोक अदालत विशुद्ध रूप से सुलह व पंचाट से सम्बन्धित है। यदि पक्षकारान के मध्य सुलह व पंचाट नही होती है तो पत्रावली लोक अदालत को पुनः वही भिजवाई जानी चाहिये जहां से वह पत्रावली प्राप्त हुई है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के सिद्वान्तो के विपरीत बिना

राजीनामे के कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलान्ट विपक्षी की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है, गुणावगुण पर बिना तामील के एक तरफा मे निर्णय पारित किया है। जो संहवनीय नही होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 62/2017 निर्णय व आदेश दिनांक 10.05.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़